डीयू के उत्तर–दक्षिण कैंपस को जोड़ने वाली पिंक लाइन सेवा शुरू हुई

मजलिस पार्क से दुर्गाबाई देशमुख साउथ्था कैंपस के बीच तय करेगी 22 किमी की दूरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

डीएमआरसी की पिंक लाइन (मजलिस पार्क से दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैम्पस) कॉरिडोर बुधवार शाम आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस तरह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 252 किलोमीटर तक हो गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया।

इस कॉरिडोर पर मजलिस पार्क से दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस की दूरी 34 मिनट में तय होगी और इसके लिए 40 रूपया चुकाना होगा। इस नए रूट के चालू हो जाने से दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ और साउथ कैम्पस को पहली बार आपस में जोड़ा गया है। इस लाइन पर यात्रियों को सर्वाधिक ऊंचाई पर यात्रा करने का अनुभव होगा। लगभग 22 किमी लंबी पिंक लाइन पर धौला कुंआ के पास 23.6 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो रेल दौड़ेगी। नीचे से एयरपोर्ट मेट्रो और उसके नीचे एनएच-8 से गुजरती गाड़ियां दिखेंगी। दूसरी तरफ हरा-भरा रिज एरिया सरदार पटेल मार्ग नजर आएंगे। डीएमआरसी ने ट्रैफिक या एयरपोर्ट मेट्रो को बाधा पहुंचाए बिना पिंक लाइन का रास्ता निकाला है। यहां से कुछ ही दूर नारायणा के पास मेट्रो का सबसे गहरा प्वाइंट भी है। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के नीचे मेट्रो 26 मीटर की गहराई पर गुजरेगी।

इस लाइन के 2 स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा न होने के बावजूद 4-4 प्लेटफार्म बनाए गए हैं। शकूरपुर और मजलिस पार्क पर इस तरह का ढांचा है। भविष्य में जब यह 59 किमी लंबी लाइन पूरी खुल जाएगी तो कभी किसी ट्रेन को बीच में रोकने या सेवा समाप्त करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसे देखते हुए इन दोनों स्टेशनों पर भी 4-4 प्लेटफार्म बनाए गए हैं। वहीं इंटरचेंज स्टेशनों पर दूसरे लाइन की मेट्रो पकड़ने के लिए कोनकोर्स लेवल या भूतल पर जाना पड़ता है लेकिन राजौरी गार्डन स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म से एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद आप ब्लूलाइन पर पहुंचेंगे। ट्रैक के ऊपर 16.5 मीटर लंबा एक रैंप बनाया है। यहां से 134 मीटर लंबे ट्रैवलेटर से होते हुए ब्लूलाइन वाले राजौरी गार्डन स्टेशन में प्रवेश करेंगे।

दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस रूट के साथ ही मेट्रो का सफर एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है जो न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि मेट्रो टीम के लिए भी रोमांचित कर देने वाला अनुभव है।

मुठभेड़ के बाद इनामी गैंगस्टर अनवर गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यमुना पार के ब्रह्मपुरी और भजनपुरा इलाके में दो युवकों की गोली मारकर हत्या करने वाला कुख्यात गैंगस्टर अनवर उर्फ हटेला को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान गोली लगने से वह घायल हो गया। उस पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख और यूपी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। उसे स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीमों ने बुधवार तड़के करीब 4.30 बजे अमरोहा बाइपास के पास घेरा था।

पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुशवाहा के अनुसार अनवर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर बन चुका था। ब्रह्मपुरी और भजनपुरा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दो युवकों की हत्या करने के बाद से उस पर एक लाख रुपये का इनाम था। दोनों हत्याकांड में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह ताबड़तोड गोलियां बरसाता नजर आया था। वह मूलरूप से अमरोहा का रहने वाला है। स्पेशल सेल की टीम उसकी तलाश में लगी थी। इस दौरान मुखबिर से जानकारी मिली कि वह अमरोहा में छिपा हुआ है। वह अपनी पत्नी और एक दोस्त के साथ सेंट्रो कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने दिल्ली जाएगा। इस जानकारी पर स्पेशल सेल के एसीपी अत्तर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने साथ मिलकर टीपी नगर में घेरेबंदी की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने और उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में अमरोहा के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनवर घायल हो गया।

सीएम के विशेष सचिव का तबादला

नई दिल्ली(पीएनएस)। गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सचिव प्रशांत कुमार पांडा का तबादला पुडुचेरी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने उप राज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी मिलने के बाद 2007 बैच के आईएएस अधिकारी को 19 मार्च से पद मुक्त करने का आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के नौ आईएएस अधिकारी के तबादले का आदेश पिछले महीने जारी किया था। इन आईएएस अधिकारियों में पांडा का नाम भी शामिल था। केजरीवाल के विशेष सचिव के तबादले का आदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार वी के जैन के इस्तीफे के बाद आया है। जैन ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। जैन से दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु गुप्ता के साथ कथित तौर पर हुई हाथापाई के मामले में पुछताछ की थी। करीब 70 आईएएस अधिकारी के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (डीएएनआईसीएस) अधिकारी दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं।

मै. वीएनआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (परिसमापन के अन्तर्गत)
8–2–322/डी, मार्ग सं. 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500 034

ई–नीलामी

आईबीसी 2016 के अन्तर्गत सम्पत्तियों का विक्रय

नीलामी की तिथि तथा समय सोमवार 02.04.2018 को अप. 2.30 बजे से अप. 3.30 बजे तक (विस्तार विकल्प सहित) तथा बुधवार 18 अप्रैल, 2018 का

मै. वीएनआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के स्वामित्वाधीन वाली सम्पत्तियों का विक्रय (परिसमापन के अन्तर्गत) परिसमापन प्रक्रिया विनियमावली के विनियम 33 के साथ पठित आईबीसी 2016 तथा धारा 35(एफ) के अन्तर्गत माननीय एनसीएलटी पीठ, हैदराबाद द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन सम्पदा के अंश के रूप में परिवर्तित हो रही है। विक्रय प्रक्रिया अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा https://bankauctions.in के वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से संपन्न की जाएगी।

(रु. लाख में)

क्र. सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज	बोली वृद्धि राशि
1.	2 आरक्षित कार पार्किंग सहित एनएच-24, नई दिल्ली में स्थित सीडब्ल्यूजी विलेज में स्थित आवासीय अपार्टमेन्ट सं. 202 टॉवर 8, अधिमापन स्तंभ क्षेत्र 2113.90 वर्ग फुट।	325.00	32.00	3.00

नियम एवं शर्तें :

1. ई–नीलामी का संचालन ई–नीलामी सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर के माध्यम से "जैसी है जहां है आधार" पर किया जाएगा।
2. धराज का भुगतान डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एसबीआई (ओवरसीज शाखा), जुबली हिल्स, हैदराबाद, सं. 36699208112, आईएफएससी एसबीआईएन0001921 के खाते में किया जाएगा।
3. बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन विधि के माध्यम से जमा की जाएंगी। बोली प्रपत्र www.vnril.com की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
4. धराज तथा निविदा प्रलेखों को जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय 29.03.2018 को अप. 4.00 बजे है।
5. ई–नीलामी की तिथि तथा समय 02.04.2018 को अप. 2.30 बजे तथा अप. 3.30 बजे के मध्य है।
6. यदि कोई भी प्रस्ताव समापन समय के अन्तिम 5 मिनटों के अंदर प्राप्त किया जाता है तो बोलीदान समय स्वतः ही अन्य 5 मिनटों के लिए बढ़ जाएगा तथा यदि विस्तारित 5 मिनटों के अंदर कोई सर्वोच्च बोली प्राप्त नहीं होती है, तो नीलामी स्वतः ही विस्तारित 5 मिनटों में बंद हो जाएगी। (दिनांक 03.04.2018 को अप. 2.30 बजे के बाद किसी अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं दी जाएगी)।
7. असफल/विक्रय होने से रह गई परिसम्पत्तियों के लिए ई–नीलामी 18.04.2018 बुधवार को अप. 2.30 बजे तथा अप. 3.30 बजे के मध्य की जाएगी। विस्तारित विक्रयावधि हेतु धराज तथा निविदा प्रलेख स्वीकार करने की अन्तिम तिथि 16.04.2018, सोमवार होगी।
8. इच्छुक बोलीदाता जो धराज जमा कर चुके हैं तथा जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित करने में सहायता की आवश्यकता है, वे दूरभाष 040–23558511/66 पर और ई-मेल के माध्यम से [illegible] अथवा [illegible] पर परिसमापक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए आप श्री यू. सुब्बाराव, 8142000061/66 से सम्पर्क कर सकते हैं।
9. असफल बोलीदाताओं की धराज राशि वापस कर दी जाएगी।
10. बोलीदाता जो ऑनलाइन नीलामी के समापन पर सर्वोच्च प्रस्ताव (आरक्षित मूल्य से अधिक) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही परिसमापक द्वारा अनुमोदन के अधीन सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। परिसमापक के पास किसी भी चरण में बिना कोई कारण, चाहे जो कुछ भी हो, बताए किसी अथवा समस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने या प्राप्त की गई सम्पत्ति से अधिक हेतु प्रस्ताव स्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित है।
11. विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने पर क्रेता को तत्काल विक्रय मूल्य (धराज सहित) की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत का शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान विक्रय के 15 दिनों के अंदर करना होगा। यदि क्रेता समय सीमा में निर्धारित राशि का भुगतान करने में विफल होता है, तो अब तक जमा की गई राशियां जब्त कर ली जाएंगी।
12. विज्ञापन, विज्ञापन की तिथि से 34 दिनों हेतु वैध होगा। प्रस्तावित बोलीदातागण श्री पी. निरंजन कुमार (9866516649), सुश्री वी. प्रीति (9392632790) से सम्पर्क कर पूर्व नियुक्ति के साथ ऊपर वर्णितानुसार सम्पत्ति का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकते हैं।

दिनांक : 14.03.2018
स्थान : हैदराबाद
हस्ता./– टी. एस. एन. राजा
परिसमापक

आईजीएनसीए में बुधवार को राहुल सांस्कृत्यायन की पुत्री जया ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दीप जलाकर शुभारम्भ किया

राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन और शोधकार्य पर चर्चा

आईजीएनसीए में शुरू हुआ राहुल सांस्कृत्यायन : महापंडित इन द लैंड ऑफ स्नो विषय पर सम्मेलन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 'राहुल सांस्कृत्यायन : महापंडित इन द लैंड ऑफ स्नो' विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आज शुभारम्भ हो गया है। इस सम्मेलन में 9 सत्रों के माध्यम से राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन, शोधकार्यों, उनके द्वारा संगृहीत पांडुलिपियों व उनकी रोमांचक यात्राओं पर चर्चा होगी। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आईजीएनसीए ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के साथ मिलकर किया है। शुभारम्भ सत्र में राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक प्रीतम सिंह, राहुल सांस्कृत्यायन की पुत्री जया सांस्कृत्यायन, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष प्रो. एस.आर.भट्ट एवं आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी मौजूद थे। इस अवसर पर ईस्ट एशिया प्रोजेक्ट की विभागाध्यक्ष डॉ. राधा बनर्जी ने कहा कि सांस्कृत्यायन बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्वान थे, उन्हें हिंदी साहित्य और तिब्बत की कठिन और रोमांचक यात्राओं के लिए जाना जाता है। इस मौके पर आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी यात्रा वृतांत के पितामह थे। हिमालयन संस्कृति पर उनकी पकड़ गजब की थी, उनके द्वारा की गई यात्रायें जोखिम भरी व रोमांचक होने के साथ-साथ ज्ञान से परिपूर्ण थी, अपनी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कई दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह और अनुवाद किया, उनकी 13 भाषओं पर पकड़ थी। इस मौके पर राहुल सांस्कृत्यायन की बेटी जया सांस्कृत्यायन ने कहा कि जब वे इस दुनिया को छोड़ कर गये तो मैं केवल 10वीं की क्लास में थी, उन्होंने भले ही इस दुनिया को अलविदा कहा हो लेकिन वो अपनी कृतियों, किताबों के माध्यम से सदैव हमारे आस-पास ही रहे।

गाजियाबाद/नोएडा समाचार

एमएलसी आशु मलिक ने सीएम से मिलकर बताया जान का खतरा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सपा के विधान परिषद सदस्य आशु मलिक का कभी भी मर्डर हो सकता है। यह हम नहीं खुद विधायक आशु मलिक बोल रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जहां विधायक ने वाई श्रेणी की सुरक्षा को बहाल करने का अनुरोध किया है वहीं पर डीएम को पत्र भेजकर दुखड़ा सुनाया है। पत्र में यहां तक लिखा है कि राजनीतिक षड़यंत्र के तहत उनकी हत्या कराई जा सकती है। जीवन भय के कारण विधायक घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पत्र में लिखा है कि कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं विधायक ने अपने भाई एवं वार्ड.९ से जिला पंचायत सदस्य नूरहसन की भी जान को खतरा बताया है। पत्र में लिखा है कि साल 2012 में आईबीए एलआईयू और विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा उनकी जान को अत्यधिक खतरा बताया थाए जिसके लिए तत्कालीन सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। राजनीतिक विद्वेश भावना से उनकी सुरक्षा हटा ली गई। डीएम रितु माहेश्वरी का कहना है कि नियमानुसार सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मण्डलायुक्त स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे जाते हैं। वहीं से सुरक्षा को लेकर अन्तिम निर्णय होता है। एमएलसी आशु मलिक ने फोन पर बताया कि वे सत्र के चलते लखनऊ में हैं। सुरक्षा बहाली को लेकर मंगलवार को वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और वाई श्रेणी की सुरक्षा को बहाल करने का अनुरोध किया गया है। विधायक ने डीएम को भेजे गए पत्र की भी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाई नूरहसन की सुरक्षा को लेकर भी पत्र लिखा गया है।

जहरीली शराब कांड में महिला समेत चार लोगों पर संदेह

गाजियाबाद। आबकारी विभाग और पुलिस के बीच वाहवाही लूटने के चक्कर हमेशा तालमेल की कमी रहती है। दोनों विभाग अक्सर एक दूसरे सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाते हैं। कई बार पुलिस पर रिश्वत लेकर शराब तस्करों को छोड़ने तक के आरोप लगते हैं। इतना ही नहींए दोनों विभाग एक दूसरे को सूचना दिए बिना ही शराब की बरामदगी के लिए दबिश देने पहुंच जाते हैं। वहीं आबकारी विभाग का मुखबिर तंत्र कमजोर हो गया हैए इसलिए अवैध शराब की तस्करी की सूचना नहीं मिल पाती। मौजूदा समय में खुफिया पुलिस और आबकारी विभाग शराब की तस्करी रोकने में फेल हैं।आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त राजेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि खोड़ा के धर्मेंद्र गुसाए बंटीए प्रमिला और फूलवा पर शराब बेचने का संदेह है। खोड़ा में कुछ लोगों ने इन पर शराब तस्करी का आरोप लगाया। लोगों के आरोप की जांच की जा रही है। आरोपी सही पाए जाने पर आरोपी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा।

फैक्ट्री मैनेजर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, फैक्ट्री संचालक पर हत्या का आरोप

लोनी। ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में पूजा कालोनी की पुनीत एंक्लेव निवासी नवीन शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनो ने फैक्ट्री संचालक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामलें की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से आजमगढ के रहने वाले नवीन शर्मा अपने परिवार के साथ पिछले 13 साल से पुजा कालोनी में रह रहे थे। उनके तीन बेटे है। वह ट्रोनिका सिटी की अलपूनिक्स इम्पेक्स कंपनी में बतौर मैनेजर कार्य करते थे। परिजनो के मुताबिक फैक्ट्रीकर्मी विकास ने दोपहर को फोन करके नवीन की तबीयत बिगडने की सूचना दी और बताया कि उन्हे उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहे है। अस्पताल पहुचने पर चिकित्सको ने नवीन को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनो को आरोप है कि चिकित्सको से नवीन की मौत की बात सुनकर सहकर्मी उन्हे अस्पताल में छोड़कर भाग गये। उन्होने कहा कि नवीन का चेहरा नीला पडा हुआ था। परिजनो ने फैक्ट्री संचालक पर उसकी हत्या किये जाने का आरोप लगाया है।

प्रदूषण फैलाने वाली 20 ईकाईयां सील, विद्युत कनेक्शन भी काटे

लोनी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को बंथला नहर स्थित श्रीराम कालोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही प्रदूषण फैलाने वाली 20 ईकाईयों को सील किया है। इस दौरान इनके विद्युत कनेक्शन भी काटे गये। एसडीएम इंदू प्रकाश ने बताया कि इन फैक्ट्रीयों में पालीथिन को गलाकर गोला बनाने का कार्य किया जा रहा था। यह सभी ईकाईयां अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। इस मौके पर सीओ दुर्गेश कुमार सिंह के अलावा भारी पुलिस बल सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

प्राधिकरण में कहीं गुम हो गईं 2005 से पहले की फाइल

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के भूमि विभाग में तैनात रहे अधिकारियों ने यहा की कई फाईलों को गायब कर दिया है। ये अधिकारी विभाग से कार्य मुक्त हो चुके हैं। इसका खुलासा कैग द्वारा फाइले मांगने पर हुआ। कैग ने जांच के लिए २००५ की पहले की फाइलों को मांगा था। प्राधिकरण ने अपने पुराने बस्ते खोले लेकिन उसमे से अधिकांश फाइले गायब मिली। अब समस्या यह है कि जांच किन तथ्यों को आधार मानकर की जाए। नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की जांच नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) द्वारा की जा रही है। प्रारंभ में यह जांच पूर्व के शासन काल में किए गए कार्यो की जानी थी। लेकिन जांच प्रारंभ होने के साथ टीम ने प्राधिकरण गठन से लेकर अब तक की सभी फाइलों की मांग प्राधिकरण अधिकारियों से की। लेकिन प्राधिकरण २००५ के पहले की अधिकांश फाइलों को पेश में करने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। दरसअल, प्राधिकरण के भूमि विभाग के अधिकारियों ने अलमारियों में रखे पुराने बस्ते खोले तो उसमे से अधिकांश फाइलें गायब मिली। यह फाइल उस समय की है जब यहा गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया। लेकिन मुआवजे की बांट किसान अब तक ढोह रहे है।

सौ से ज्यादा मोबाइल लूट और चोरी के करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नोएडा। नोएडा समेत एनसीआर में 100 से ज्यादा लूट, झपटमारी और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का कोतवाली सेक्टर २० पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की महिला सदस्य के साथ ९ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी व लूटे हुए २६ मोबाइल फोन, एक एलईडी, एक विदेशी चाकू मय हॉलिस्टर, चोरी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, साढ़े आठ हजार रुपए कैश, बीड़ी, गुटका, सिगरेट, चाय व कॉफी की पाउच बरामद हुए है। आरोपी महिला और उसका पति गिरोह की सरगना हैं। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली सेक्टर २० पुलिस ने बुधवार सुबह एक सूचना के आधार पर ९५ सेक्टर ४० स्थित प्लॉट से चोरी के माल का बटवारा करते समय गिरउतार किया है। आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ विनय पाठक व नेहा, निवासी यू अशोक नगर दिल्ली, प्रशांत चौधरी निवासी हरौला, सैफ अली निवासी के.के बिल्डिंग हरौला, ओम निवासी हरौला, विजय कुमार निवासी से1टर९२, अर्जुन निवासी हरौला, कुंदन निवासी हरौला के रूप में हुई। एसपी सिटी ने बताया कि नेहा दीपक की पत्नी है। नेहा की आड़ में यह सामान चोरी करते थे। जिससे महिला के साथ में होने के चलते उन पर कोई शक न कर सके। आरोपी सेक्टर-५ हरौला, अट्टा मार्केट, डी ब्लॉक मार्केट सेक्टर-२७ व भीड़भाड़ व अन्य इलाकों में लूट और चोरी की दर्जनों वारदात को अंजाम दे चुके हैं

सपा के दिल्ली कार्यालय में भी जश्न का माहौल

नई दिल्ली(पीएनएस)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत पर दिल्ली स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। कॉपरनिक्स लेन स्थित कार्यालय में सपा प्रवक्ता और महासचिव आरएस यादव ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह अखिलेश सरकार में हुए विकास कार्यों की जीत और योगी सरकार की बांटने की नीति की हार है।

उपचुनाव नतीजों को ट्रेलर बताते हुए यादव ने कहा कि असली विकास ने जीत दर्ज की और नकली विकास का ढोल फट गया है। पूरी फिल्म 2019 में देखने को मिलेगी।

सार्वजनिक सूचना

यह आम सूचना **सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्युशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्व नाम एमएसएम मीडिया डिस्ट्रीब्युशन प्राइवेट लिमिटेड) (CIN:U92490MH2015PTC263107), जिसका पंजीकृत पता इंटरफेस बिल्डिंग नं.७, ४था माला, मलाड लिंक रोड के सामने, मलाड (प), मुंबई–४०० ०६४ है, ने निम्नांकित प्रसारकों के लिए और उनकी ओर से उनके कुछ या सभी चैनल्स के सिग्नल्स के संबंध में जारी की है:

अ) **सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्व नाम मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड), जिसके चैनल हैं यथा सेट, सब, पल, सेट मैक्स, मैक्स २, सोनी वाह, सेट पिक्स, मिक्स, सिक्स, सोनी ईएसपीएन, टेन१, टेन२, टेन३, टेन२ एचडी, टेन३ एचडी, एएक्सएन, सोनी बीबीसी अर्थ, सोनी येह, सोनी आठ, सेट एचडी, सब एचडी, मैक्स एचडी, पिक्स एचडी, ले प्लेक्स एचडी, सोनी रॉक्स एचडी, सिक्स एचडी, सोनी ईएसपीएन एचडी, टेन१ एचडी, टेन गोल्फ एचडी, एएक्सएन एचडी, और सोनी बीबीसी अर्थ एचडी **("एसपीएन चैनल्स")**

ब) **टीवी टूडे नेटवर्क लिमिटेड**, जिसके चैनल हैं यथा आज तक, इंडिया टूडे और तेज़ **("टीवीटीएन चैनल्स")**

निम्नांकित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर और उनके फ्रैंचाइज़ी के उपभोक्ताओं को सूचित कियाजाता है कि उपरोक्त प्रसारकों (यथालागू) के सबस्क्राइब्ड टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल नीचे दिए कारणों से आज से तीन सप्ताह बाद डिस्कनेक्ट होने की संभावना है:

क्र. स.	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर और शहर का नाम	डिस्कनेक्ट होनेवाले चैनल्स	प्रभावित डीएएस क्षेत्र ("टेरिटरी")	कारण (कारणे)
1	मैग्निफिसेंट इंफोटेक प्रा. लि., नई दिल्ली	एसपीएन चैनल्स और टीवीटीएन चैनल्स	केवल नरनौल शहर की नगरपालिका सीमाएं	बकाया राशि का भुगतान न करना और/या अनुबंध न करना, जो भी मामला हो.

उपरोक्त नामित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर द्वारा सर्विस किए जानेवाले उपरोक्त सभी क्षेत्र तथा टेरिटरी में उनके संबंधित फ्रैंचाइज़ी प्रभावित होंगे.

HDFC BANK
We understand your world
प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुंबई–400013
आंचलिक कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., विशेष कार्य विभाग, द्वितीय तल, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

ई–नीलामी बिक्री सूचना
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : नीचे तालिका में वर्णितानुसार

बैंक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत बिक्री।

जबकि एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी की गई सूचना के अनुसरण में निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का कब्जा निम्नलिखित ऋण खाते में नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार बैंक की बकाया राशि तथा ब्याज की वसूली के लिए सम्पत्ति/यों की "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो भी है" आधार पर बिक्री के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया है और जबकि बकाया राशि चुकाने में असफल रहने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए उक्त सम्पत्ति/यों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति के बंधकदाता तथा गारंटरों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि सरफासी ऐक्ट के तहत मांग एवं कब्जा सूचना की तिथि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोलियां प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ई–मेल आईडी
1	मैसर्स गर्ग एजेन्सीज 982/1, गर्ग एजेन्सीज, गोयल पेपर मार्केट, चावड़ी बाजार, दिल्ली–06	बंधकदाता : सुश्री अनिता जैन श्री सुनील जैन सुश्री रितु जैन श्री मनोज जैन गारंटर : सुश्री रितु जैन सुश्री अनिता जैन श्री मनीष जैन श्री मनोज जैन श्री सुनील जैन सुश्री सुलोचना जैन	अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर एक हॉल सीलिंग तक नंबर 4735/11 कोठी नंबर 22, प्रकाश दीप, दरिया गंज, दिल्ली परिमाप 6790 वर्ग फीट छत का अधिकार नहीं। पूरब : रोड, पश्चिम : गली, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति	रु. 10,62,37,232.11 मांग सूचना की तिथि – 03 अप्रैल, 2012 धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना की तिथि – 03 नवम्बर, 2012 राशि 31–03–2012 तक बकाया आगे ब्याज तथा लागत एवं खर्चे कैश क्रेडिट लोन खाते के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान किए जाने तक	20–03–2018 अप. 3.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक	रु. 2,95,00,000/– रु. 29,50,000/– रु. 1,00,000/–	04–04–2018 पूर्वा. 10.30 बजे से पूर्वा. 11.30 बजे तक	28–03–2018 अप. 4.00 बजे तक	श्री संजय शर्मा मोबा. : 9811022575 Sanjay.sharma@hdfcbank.com

नियम एवं शर्तें :
1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता अपनी ईएमडी विवरण तथा दस्तावेज ऑनलाइन आईडी एवं पासवर्ड (यूजर आईडी तथा पासवर्ड अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर दर्ज करा कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के जरिये वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते : 02400930000063 खाता नाम : FUNDS TO BE CLEARED-DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में अथवा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड खाता संख्या 02400930000063 के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ऊपर तालिका में प्रत्येक सम्पत्ति के लिए वर्णित तिथि को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक जमा करनी होगी।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सूचना के अनुसार, सम्पत्ति पर कोई सांविधिक बकाया जैसेकि सम्पत्ति कर, सोसायटी बकाया इत्यादि बकाया नहीं है। तथापि, बैंक किसी सांविधिक देयता/ऋणभार/कर बकाया, यदि कोई है, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्याशी बोलीदाताओं को ऋणभारों, सम्पत्ति/यों के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए एवं निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। सम्पत्ति का निरीक्षण केवल उपरोक्त तिथि और समय पर किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाता जो ईएमडी जमा कर चुके हैं तथा ऑनलाइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया के बारे में सहायता के इच्छुक हैं, मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट सं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-II, गुड़गांव, हेल्पलाइन सं. -0124-4302020/21/22/23/24, श्री विनोद चौहान मोबाइल : 9813887931 हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : support@bankeauction.com पर सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति संबंधी किसी पूछताछ के लिए ऊपर वर्णित अनुसार संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान (पूर्वा. 10 बजे से अप. 5 बजे तक) पर सम्पर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ऑफरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट तथा www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)।

सरफासी ऐक्ट, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदारों/गारंटरों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि मय ब्याज तथा आनुषंगी खर्चे ई–नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा बकाया, यदि कोई रह जाएगा, मय ब्याज एवं लागत वसूल किया जाएगा।

तिथि : 15 मार्च, 2018
स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा द्वितीय तल-लिंक हाउस, 3 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002. से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादकः चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादकः उषा श्रीवास्तव। दूरभाष नंबर: (011) 40754100, 23755271-74

-पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।